बांध तोड़ते ही मछलियां पनपीं

यू.एस. के वॉशिंग्टन प्रांत में एल्वा नदी पर बने दो पनबिजली बांधों को तोड़ने की योजना पर क्रियांवयन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर एल्वा नदी में साल्मन व स्टीलहेड मछलियां एक बार फिर पनपने लगी हैं।

72 किलोमीटर लंबी एल्वा नदी पर दो बांध बीसवीं सदी के शुरू में बनाए गए थे। एक था 33 मीटर ऊंचा एल्वा बांध और दूसरा 64 मीटर ऊंचा ग्लाइन्स कैन्यॉन बांध। बांधों के बनने से पहले एल्वा नदी ओलंपिक राष्ट्रीय उद्यान में बहती हुई जुआन डी फुका खाड़ी में गिरती थी। इस नदी का अंतिम हिस्सा क्लालेम जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में है। इस नदी में उत्तर पश्चिमी प्रशांत सागर की पांचों साल्मन प्रजातियों के अलावा स्टीलहेड ट्राउट व अन्य मछलियां पाई जाती थीं।

उक्त बांधों ने मछलियों के लिए नदी में पहुंचना असंभव बना दिया था और बांधों के नीचे नदियों के तल व प्राकृतिक प्रवाह में उथल-पुथल पैदा कर दी थी। कई वर्षों तक चली बहस के बाद 1992 में यूएस संसद ने एल्वा नदी इकोतंत्र व मत्स्य क्षेत्र बहाली कानून पारित किया जिसकी बदौलत यूएस इतिहास में पहली बार इतने बड़े बांध को तोड़ने की इजाज़त मिली। बांध को हटाने का काम सितंबर 2011 में शुरू हुआ था और मार्च 2012 में नदी कई हिस्सों में, पूरी एक सदी बाद, मुक्त रूप से बहने लगी थी। लोअर एल्वा जनजाति के नदी बहाली कार्यक्रम के निदेशक रॉबर्ट ने इसे एक शानदर जश्न बताया है।

अलबत्ता, अभी भी मछलियां पूरी तरह बस नहीं पाई हैं। बांध के पीछे इतने बरसों की भरी गाद अब घुल-घुलकर नदी के पानी में आ रही है। यह गाद मछलियों के गलफड़ों में भरकर उनका जीना हराम कर सकती है। फिर भी देखा गया है कि पिछले 6 महीनों में मछलियों के कई समूह नदी में और उसकी उपनदियों में आकर प्रजनन कर रहे हैं। यह एक शुभ लक्षण माना जा रहा है।

अलबत्ता, मछलियों के प्रजनन को सुगम बनाने के लिए वहां कुछ नर्सरियां भी तैयार की गई हैं। वैसे इस मामले में भी विवाद शुरू हो गया है। चार समूहों ने इस पर आपत्ति जताई है कि ये नर्सरियां खतराग्रस्त प्रजाति कानून का उल्लंघन हैं। समूहों के मुताबिक कारण यह है कि इन नर्सरियों में तैयार की गई मछलियां कुदरती मछलियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन समूहों का मत है कि वैसे भी ये नर्सरियां अनावश्यक हैं क्योंकि साल्मन और ट्राउट में कुदरती क्षमता होती है कि वे पानी की गाद को झेल सकें।

कुल मिलाकर यह पर्यावरण आंदोलन की एक जीत ही कही जाएगी कि नदी तंत्र की बहाली के लिए इन बांधों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। आशा की जानी चाहिए कि यह निर्णय उन बांधों पर भी पुनर्विचार की प्रक्रिया को शुरू करेगा जो अभी प्रस्तावित हैं और जिनके बारे में पर्यावरणीय शंकाएं व्यक्त की गई हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***